समाचार

पेंशन हितग्राहियों की आधार सीडिंग का कार्य 08 मार्च तक

(जिन हितग्राहियों ने आधार कार्ड अब तक निगम को उपलब्ध नहीं कराए, वे 08 मार्च से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें)

कोरबा 04 मार्च 2016 –शासन की विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों की आधार सीडिंग किए जाने हेतु 08 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जिन हितग्राहियों ने अभी तक अपने आधार कार्ड निगम को उपलब्ध नहीं कराए हैं, उन हितग्राहियों से निगम ने अपील की है कि वे 08 मार्च से पहले अपने आधार कार्ड अनिवार्य रूप से निगम को उपलब्ध करा दें।

नगर पालिक निगम कोरबा के समाज कल्याण अधिकारी डॉ.शिरीन लाखे ने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन के हितग्राहियों के आधार सीडिंग का कार्य निगम द्वारा किया जा रहा है। उन्होने बताया कि इन तीनों पेंशन योजनाओं के आधार सीडिंग कार्य से शेष बचे हितग्राहियों के सीडिंग का कार्य अत्यंत आवश्यक है, पेंशन हितग्राहियों के आधार सीडिंग न होने के परिणाम स्वरूप भविष्य में हितग्राहियों को समुचित रूप से पेंशन राशि भुगतान के कार्य में व्यवहारिक कठिनाईयां एवं अवरोध उपस्थित हो सकते हैं।

हितग्राहियों की सूची निगम व जोन कार्यालय में चस्पा–समाज कल्याण अधिकारी डॉ.लाखे ने बताया कि जिन हितग्राहियों द्वारा निगम को आधार कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं तथा इसके परिणाम स्वरूप उनकी आधार सीडिंग का कार्य नहीं हो पाया है, ऐसे सभी हितग्राहियो की सूची निगम द्वारा तैयार करा ली गई है तथा इस सूची को संबंधित वार्ड पार्षदों को भी प्रेषित किया जा रहा है। उन्होने बताया कि सूची को निगम के मुख्य कार्यालय साकेत के सूचना पटल तथा सभी जोन कार्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा करने के साथ ही यह सूची निगम की वेबसाईट में भी अपलोड करा दी गई है, उक्त स्थलों से सूची का अवलोकन किया जा सकता है। उन्होने बताया कि निगम के पार्षदगणों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपना सहयोग प्रदान करते हुए वार्ड में निवासरत इन पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को प्रेरित करें कि वे अनिवार्य रूप से अपना आधार कार्ड निगम को उपलब्ध करा देवें, ताकि आधार सीडिंग का कार्य सम्पन्न किया जा सके। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण अधिकारी डॉ.शिरीन लाखे से मोबाईल नम्बर 97520–94152 व्हाट्सअप नम्बर 94255–40375 पर संपर्क किया जा सकता है।